



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट सोनभद्र – (उ०प्र०)



☎ 05446-252020

PIN Code: 231217

Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक- 4314 / रेनुकूट / 15-6 रेनुकूट, दिनांक, जून, 23, 2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजारपुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषय:- एन०टी०पी०सी० रिहन्दनगर, बीजपुर-सोनभद्र द्वारा जनपद-सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग के अन्तर्गत रिहन्द सुपर थर्मल पावर परियोजना के निर्माण में प्रभावित 555.759 हे० आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग के नियमितीकरण के सम्बन्ध में ।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-3179/11-सीFP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-03.04.2023

महोदय,

विषयक प्रकरण संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करे । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक-03.04.2023 द्वारा इंगित कमियों का निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण एवं प्रभाग द्वारा करते हुए प्रस्ताव की संशोधित प्रति निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

क्र० सं०	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ का पत्रांक-3179/11-सीFP/UP/THERMAL/36097/2018 लखनऊ दिनांक-03.04.2023 में उल्लिखित बिन्दु ।	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लीज अवधि प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है । अतः इसे डिलिट कर सही लीज अवधि प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लीज अवधि प्रमाण पत्र को डिलिट कराते हुए सही लीज अवधि प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करा दिया गया है ।
2	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र को डिलिट नहीं किया गया है । अतः इसे डिलिट कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र को डिलिट कराते हुए संशोधित लागत लाभ विश्लेषण प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करा दिया गया है ।
3	ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे० क्षेत्रफल की SOI टोपोशीट अपलोड नहीं की गयी है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, ऑनलाइन भाग-2 के क्रमांक-13(iv) में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 188.241 हे० क्षेत्रफल की SOI टोपोशीट अपलोड करा दिया गया है ।
4	ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व का अपलोड	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि, ऑनलाइन भाग-2 के Additional Information Detail से पूर्व

किया गया त्रुटिपूर्ण प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र को डिलिट नही किया गया है । अतः इसे डिलिट कर संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करे ।

का अपलोड किया गया त्रुटिपूर्ण प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र को डिलिट कराते हुए संशोधित वचनबद्धता प्रमाण पत्र ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करा दिया गया है ।

5 प्रस्ताव मे आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 832 हे० अवनत वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जिसमे वृक्षारोपण हेतु धनराशि रू० 11,24,61,440/-का उल्लेख है तथा यह धनराशि भाग-2 मे भी अपलोड की गयी है, किन्तु आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा सी०ए० की धनराशि रू० 11,26,01,425/- अवशेष की जाने वाली धनराशि के रूप मे बताया गया है । प्रस्ताव मे संलग्न प्राक्कलन एवं ऑनलाइन भाग-2 मे अपलोड की गयी धनराशि से यह धनराशि भिन्न होने के कारण यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि वास्तव मे प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रकरण मे सी०ए० हेतु कितनी धनराशि जमा की जानी होगी । अतः प्राक्कलन मे स्पष्ट उल्लेख करते हुये सही प्राक्कलन पस्ताव मे संलग्न करे तथा ऑनलाइन भाग-2 मे धनराशि सहित अपलोड करे ।

1- इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि , प्रश्नगत प्रकरण मे प्रभावित 555.759 हे० वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि $555.759 \times 2 = 1111.518$ हे० या 1112.00 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है , जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र० सं०	विवरण	क्षेत्रफल (हे०मे)
1	2	3
1	वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे०मे)	280.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे० + 643.759 हे० =	832.00
कुल योग-		1112.00

2- उक्त 1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किये जाने हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व मे जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1112 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र मे अंकित धनराशि रू० 136170/- प्रति हे० की दर के आधार पर आंकलित निर्धारित धनराशि (रू०मे०)	280.508 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रू० 4969500/-प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद से पूर्व वर्ष 1997 मे प्रभाग मे जमा किया गया जिससे वर्ष 1999 मे प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया ।	280.508 हे० अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू० 32738115 /- कैम्पा मद मे जमा किया गया जिससे वनीकरण कार्य सम्पादित नही किया गया ।	1112 हे० वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रू० 150309040रू- मे से कालम संख्या- 2 पर अंकित 280.508 हे० वन भूमि पर वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य पर व्यय धनराशि रू० 4969500/- धटाने के उपरान्त रू० 14,53,39,540 /- कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित धनराशि रू० 145339540-रू०
---	---	---	--

			32738115(कालम संख्या- 3 के अनुसार जमा धनराशि) = रू0 112601425 कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है जिससे कुल 832 हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जायेगा ।
1	2	3	4
15,03,09,040.00	49,69,500.00	3,27,38,115.00	11,26,01,425.00

संशोधित प्राक्कलन अपलोड करा दिया गया है ।

6 प्रस्ताव मे आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष 832 हे0 आरक्षित वन भूमि पर 10 वर्षों का अनुरक्षण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जबकि आपके एवं प्रभागीय वनाधिकारी के पूर्व पत्र मे 561 हे0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण हेतु पूर्व मे धनराशि रू0 3,77,07,615/- प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा किये जाने का उल्लेख है । इस संबंध मे प्रस्ताव मे यह स्पष्ट प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये कि 561 हे0 अवनत वन भूमि मे से कितने हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य कराया जा चुका है एवं इस हेतु कितनी धनराशि व्यय हुई है तथा कितने अवनत वन भूमि पर अभी वनीकरण कार्य कराया जाना अवशेष है एवं इस हेतु कितनी धनराशि अभी कैम्पा मद मे जमा है ? प्रमाण पत्र मे यह स्पष्ट उल्लेख करे कि वनीकरण हेतु अवशेष अवनत वन भूमि को क्या 832 हे0 अवनत वन भूमि मे सम्मिलित किया गया है अथवा नही ?

1- इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि , प्रश्नगत प्रकरण मे प्रभावित 555.759 हे0 वन भूमि के दुगुने अवनत वन भूमि $555.759 \times 2 = 1111.518$ हे0 या 1112.00 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किया जाना है , जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र0 सं0	विवरण	क्षेत्रफल (हे0मे)
1	2	3
1	वर्ष 1999 मे सम्पादित किये गये वनीकरण कार्य का क्षेत्रफल (हे0मे)	280.00
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वर्तमान मे प्रस्तावित 188.241 हे0 + 643.759 हे0 =	832.00
कुल योग-		1112.00

2- उक्त 1112 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण कार्य किये जाने हेतु जमा की जाने वाली निर्धारित धनराशि एवं पूर्व मे जमा धनराशि तथा जमा धनराशि को समायोजित करने के उपरान्त वर्तमान मे जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्नानुसार है :-

1112 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु संलग्न व्यय अनुमान पत्र मे अंकित धनराशि रू0 136170/- प्रति हे0 की दर के आधार पर आंकलित निर्धारित धनराशि	280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण की धनराशि रू0 4969500/- प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कैम्पा मद से पूर्व वर्ष 1997 मे प्रभाग मे जमा किया गया जिससे	280.508 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रू0 32738115 /- कैम्पा मद मे जमा किया गया जिससे	1112 हे0 वन पर वनीकरण कार्य करने हेतु कालम संख्या-1 मे निर्धारित धनराशि रू0 150309040 मे से कालम संख्या- 2 पर अंकित 280.508 हे0 वन भूमि पर वर्ष 1999 मे सम्पादित किये
--	---	--	---

	(रू0मे0)	वर्ष 1999 मे प्रभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया ।	वनीकरण कार्य सम्पादित नहीं किया गया ।	गये वनीकरण कार्य पर व्यय धनराशि रू0 4969500/- घटाने के उपरान्त रू0 14,53,39,540 /- कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित धनराशि रू0 145339540- रू0 32738115(काल संख्या- 3 के अनुसार जमा धनराशि) = रू0 112601425 कैम्पा मद मे जमा किया जाना प्रस्तावित है जिससे कुल 832 हे0 अवनत वन भूमि पर वनीकरण कार्य किया जायेगा ।	
		1	2	3	4
		15,03,09,040.00	49,69,500.00	3,27,38,115.00	11,26,01,425.00
7	प्रकरण मे प्रारम्भ से लेकर अब तक का बिन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखो सहित प्रस्ताव मे संलग्न करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि , प्रारम्भ से लेकर अब तक का बिन्दुवार क्रमिक इतिहास सुसंगत अभिलेखो सहित प्रस्ताव मे संलग्न करा दिया गया है ।			
8	उपरोक्त इंकित कमियो का निराकरण कर पूर्ण प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव मे अपलोड कर तीनों प्रस्ताव मे संलग्न करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन मे अवगत कराना है कि, प्रस्ताव मे इंगित कमियो का निराकरण कराते हुए प्रस्ताव की एक पी0डी0एफ0 फाइल पेनड्राइव मे अपलोड कर तीनों प्रस्ताव मे अलग-अलग पेनड्राइव संलग्न करा दिया गया है ।			

संलग्नक:-उपरोक्तनुसार ।

भवदीय

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या- अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपि : उप महाप्रबन्धक(मा0सं0) एन0टी0पी0सी0 रिहन्द सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, रिहन्दनगर, बीजपुर जिला-सोनभद्र को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उक्त प्रस्ताव के स्वीकृति के संबंध में उच्च स्तर पर सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रोत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करे ।

(स्वतंत्र कुमार श्रीवास्तव)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट